(122)

जिला सैक्टर चालू योजना 2012–13
आयोजनागत पक्ष

प्रेषक,

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।

सेवामें,

महाप्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र
उत्तरकाशी।

पत्रांक /00 /जिला प्लान/2012–13 दिनांक जनवरी 24/2013,

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या 30 के अर्न्तगत जिला सेक्टर योजना में धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोंदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 321/XXVii (1)/2012 दिनांक 19–06–2012 के क्रम में अपर सचिव औद्योगिक विकास अनुभाग–2 के पत्र सं0 1265/VII-12/171–उद्योग/2006 दिनांक 16–07–2012 में उद्योग विभाग के पक्ष में अनुदान सं0 30 मे जिला सेक्टर चालू योजनाओं में प्राविधानित धनराशि अनुसूचित जाति उपयोजना के अधीन (जिला योजना अन्तर्गत) उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम मद में रूपये 1,58000 (रू0 एक लाख अठावन हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हुए उपरोक्त धनराशि का आहरण वितरण अधिकार महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र उत्तरकाशी आहरण वितरण अधिकारी को प्रदान किया जाता हैं।

1– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि व्यय मात्र उन्ही मदों में किया जाय, जिन मदों हेतु धनराशि स्वीकृति की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंधन होता हो।

2– धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त योजनायें जिला विकास एवं योजना समिति द्वारा जनपदवार अनुमोदित प्लान परिव्यय एवं अनुमोदित योजनाओं पर ही व्यय की जा रही है।

3– स्वीकृत धनराशि जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित जनपदवार परिव्यय/योजनाओं के अनुरूप ही सैक्टरवार व्यय किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 321 XXVii(1)/2012 दिनांक 19–06–2012 में इंगित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31 मार्च 2013 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को दिनांक 31–03–2013 तक तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान सं0–30 के मुख्य लेखाशीर्षक ,2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 102–लघु उद्योग 02– अनुसूचित जाति/जन जाति कम्पोनेन्ट के अधीन जिला योजना, 03–उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यकम, 20– सहायक अनुदान, अशदान /राज सहायता मद के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 321/ xxvii(1)/2012 दिनांक 19–06–2012 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे है।

8– आहरण वितरण कोड़ (4183) के अन्तर्गत अनुदान सं0 30 में उक्त विवरण अनुसार अंकित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत निर्गत स्वीकृति अलाटमैन्ट आई0 डी0 सं0 H1207300967 दिनांक 11–07–2012 द्वारा आवंटित धनराशि का आहरण वितरण का अधिकार महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र उत्तरकाशी को प्रदान किया जाता है।

9– आहरण वितरण कोड 4183 से सम्बन्धित देयकों को पधोपरधारक से प्रतिहस्ताक्षर कराया जाये।

भवदीय

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

पृ0 सं0 100 /तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी
3– निदेशक अर्थ एवं संख्या 100/6 नेसविला रोड़ देहरादून।
4– उप निदेशक अर्थ एवं संख्या गढ़वाल मंण्डल पौडी।
5– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिगं माजरा देहरादून।
6– निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशाालय उत्तराखण्ड देहरादून।
7– निदेशक एन, आई, सी, सचिवालय परिसर देहरादून।
8– बरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तरकाशी ।
9– जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी उत्तरकाशी।
10– गार्ड पत्रावली।

भवदीय,

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।